

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0ज0सं0/नि0प्र0/आरोप-31/2022

278

/पटना, दिनांक:-10/9/24

अधिसूचना

विभागीय पत्रांक-842 दिनांक-03.02.23 द्वारा श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त से उनके विरुद्ध विभागीय समीक्षात्मक बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित प्रदत्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने, स्पष्टीकरणों का उत्तर समर्पित नहीं करने, जिला पदाधिकारी की बैठकों से अनुपस्थित रहने, आवंटित सरकारी राशि के विरुद्ध अत्यल्प व्यय करने, योजनाओं का समुचित निरीक्षण नहीं करने एवं लक्ष्य के अनुरूप प्राक्कलन तैयार कर समर्पित नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक-336 दिनांक-20.03.23 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध आरोप पत्र का गठन करते हुए विभागीय पत्रांक-6940 दिनांक-01.12.23 द्वारा उनसे बचाव के लिखित अभिकथन की मांग की गयी। विभागीय निदेश के आलोक में श्री कुमार, तकनीकी सलाहकार, लघु सिंचाई अंचल, मुंगेर के पत्रांक-शून्य दिनांक-30.12.23 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार विभागीय योजनाओं एवं जिला पदाधिकारी के निदेशानुसार सात निश्चय योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया।

श्री कुमार द्वारा समर्पित बचाव के लिखित अभिकथन को सम्यक् समीक्षापरांत अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0-2642 दिनांक-07.06.24 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु श्री सुभाष चन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना को जांच पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

कार्यवाही के निष्पादन से पूर्व ही श्री सुभाष चन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता(यो0+अनु0+भू0) के स्थानान्तरण के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0-4507 दिनांक-12.09.24 द्वारा मुख्य अभियंता (यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना को जांच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। साथ ही अनुशासनिक कार्यवाही के अंतिम रूप से निष्पादन के पूर्व ही दिनांक-31.10.2024 को श्री कुमार के वार्धक्य सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप विभागीय आदेश सं0-327-सह-पठित ज्ञापांक-5620 दिनांक-20.11.24 द्वारा उनके विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

जांच पदाधिकारी-सह-मुख्य अभियंता(यो0+अनु0+भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक-1314 दिनांक-15.12.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन में जांच पदाधिकारी द्वारा (i) श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर समर्पित नहीं किये जाने संबंधी आरोप, (ii) जिला पदाधिकारी, भागलपुर की समीक्षात्मक बैठक में अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप, (iii) नलकूपों के जीर्णोद्धार कार्य में शिथिलता बरतने तथा मुख्यालय से कई बार अनुपस्थित पाये जाने संबंधी आरोप, (iv) वित्तीय वर्ष-2022-23 एवं 2023-24(माह जून-2023) क्रमशः 06 एवं

कृ०पृ०उ०

शून्य सतही सिंचाई योजनाओं का ही निरीक्षण करने, जो असंतोषजनक है संबंधी आरोप, (v) वित्तीय वर्ष-2022-23 में जल-जीवन-हरियाली अभियान एवं हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत क्रमशः लक्ष्य 90 डी0पी0आर0 के विरुद्ध शून्य एवं लक्ष्य 25 डी0पी0आर0 के विरुद्ध शून्य डी0पी0आर0 समर्पित करने संबंधी आरोप एवं (vi) वित्तीय वर्ष-2022-23 में आवंटित राशि 398.15 लाख रुपये के विरुद्ध मात्र 8.402 लाख रुपये की राशि व्यय करने संबंधी आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया । साथ ही वित्तीय वर्ष-2023-24 में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत कुल लक्षित 50 योजनाओं के डी0पी0आर0 के विरुद्ध मात्र एक डी0पी0आर0 एवं हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत लक्षित 100 योजनाओं के डी0पी0आर0 के विरुद्ध मात्र 8 योजनाओं का डी0पी0आर0 उपलब्ध कराने संबंधी आरोप को प्रमाणित पाया गया । उक्त के अतिरिक्त जांच पदाधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष-2019-20 एवं 2020-21 की योजनाओं की कम प्रगति एवं 156 नलकूपों के मरम्मत हेतु अगस्त माह में आवंटित राशि में से मात्र 04 प्रतिशत की ही निकासी करने तथा मात्र 02 नलकूपों की मरम्मत कराये जाने संबंधी आरोप को अप्रमाणित पाया गया ।

जांच पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित करते हुये श्री कुमार से विभागीय पत्रांक-182 दिनांक-09.01.26 द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। जिसके आलोक में श्री कुमार के पत्रांक-02एस0 दिनांक-26.02.26 द्वारा अभ्यावेदन/निवेदन विभाग को समर्पित किया गया ।

श्री कुमार द्वारा अपने अभ्यावेदन/निवेदन में अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रियाओं पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया बल्कि उनके द्वारा मुख्य रूप से जांच पदाधिकारी द्वारा समर्पित साक्ष्यों की अनदेखी किये जाने का उल्लेख किया गया ।

जांच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के अभ्यावेदन/निवेदन के सम्यक् समीक्षापरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध शास्ति का विनिश्चय करते हुए विभागीय पत्रांक-3808 दिनांक-10.06.26 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1696 दिनांक-13.08.2026 के माध्यम से प्राप्त परामर्श में अनुशासनिक प्राधिकार के विनिश्चयन से सहमति व्यक्त की गयी ।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के आलोक में श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत “पेंशन से 05(पाँच) प्रतिशत की कटौती 02 वर्षों के लिए” की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव
लघु जल संसाधन विभाग

कृ०पृ०३०

ज्ञापांक:-

/पटना, दिनांक:-

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रतिलिपि:- वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग(ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, अररिया/श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त पता-डी0 104, न्यूटन गार्डन अपार्टमेंट, मुरली चक, जगदेव पथ, पटना-14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
अनु0-सी0डी0 ।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-

5896

/पटना, दिनांक:-

10/9/26

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रतिलिपि:- उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, भागलपुर/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-01/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 /प्रभारी निगरानी स्वच्छता पटल/प्रभारी चारित्रि पटल/आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही अधिसूचना का सी0डी0 तैयार कर विभागीय प्रेषण शाखा/निर्गत शाखा को अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

सरकार के अपर सचिव

अमिता